

विश्राम कक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,भदोही-ज्ञानपुर।

प्रशासनिक आदेश सं०-144/2025 / सी०जे०एम०,भदोही / दिनांक 30 अक्टूबर, 2025
रिमाण्ड एवं वी०आई०पी० आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह नवम्बर 2025 एवं दिनांक-01.11.2025, 02.11.2025 व 03.11.2025 हेतु निम्नलिखित पीठासीन अधिकारी को रिमाण्ड व वी०आई०पी० कार्य करने के लिये निर्धारित किया जा रहा है।

रिमाण्ड कार्य हेतु

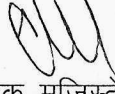
माह	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम
01.11.2025 से 15.11.2025 तक	सुश्री दिशा ओमेर	सिविल जज, जू०डि० / त्वरित न्यायालय, भदोही-ज्ञानपुर।
16.11.2025 से 30.11.2025 तक	सुश्री नीलम	सिविल जज, जू०डि० / त्वरित न्यायालय / महिला उत्पीड़न, भदोही-ज्ञानपुर।

वी०आई०पी० कार्य हेतु

दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम
01.11.2025 02.11.2025 03.11.2025	श्री अरिजीत सिंह	अपर सिविल जज, जू०डि०, तृतीय भदोही-ज्ञानपुर।

सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में रिमाण्ड एवं वी०आई०पी० ड्यूटी में परिवर्तन हेतु प्रार्थना केवल लिखित प्रार्थनापत्र जिसके साथ किसी भी मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति प्राप्त किये जाने के पश्चात प्रस्तुत किये जाने पर ही विचार किया जायेगा।

दिनांक:-30.10.2025


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही-ज्ञानपुर।

माननीय जनपद न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण, भदोही-ज्ञानपुर।
 - 2-अध्यक्ष, जनपद बार एसोसिएशन, दीवानी न्यायालय, भदोही-ज्ञानपुर।
 - 3-वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, भदोही-ज्ञानपुर।
 - 4-कम्प्यूटर अनुभाग, सिविल कोर्ट, भदोही-ज्ञानपुर।
- दिनांक:-30.10.2025


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही-ज्ञानपुर।